

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल <mark>रेट</mark>

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_{-1,} खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024

श्रावण 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 341 / 79-वि-1—2024-1-क-6-2024 लखनऊ, 13 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2024 कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 6 मार्च, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 38 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 38 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या बढा दी जायेंगी, अर्थात :-

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक संस्था का नाम
39	"शारदा विश्वविद्यालय आगरा"	श्री आनन्द स्वरूप एजुकेशनल ट्रस्ट,
	आगरा, उत्तर प्रदेश	आगरा, उत्तर प्रदेश
40	सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय	श्रीमती सरोज सिंह, शिक्षण संस्थान,
	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	8 माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
41	जे०एस०एस० विश्वविद्यालय,	जे०एस०एस० महाविद्यापीठ, गाजियाबाद,
	नोएडा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति 3—(1) राज्य सरकार, "शारदा विश्वविद्यालय आगरा", आगरा, उत्तर प्रदेश अथवा सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश अथवा जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी किठनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अविध, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति 4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन 2024,

2 सन् 2024, 3 सन्, 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप—धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उददेश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

तीन नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् :— (एक) ''शारदा विश्वविद्यालय आगरा', आगरा, उत्तर प्रदेश; (दो) सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश ; तथा (तीन) जे०एस०एस० विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2024), उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2024) तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 341(2)/LXXIX-V-1-2024-1-ka-6-2024

Dated Lucknow, August 13, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adihiniyam Sankhya 11 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. Act no. 11 of 2024)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as followes:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2024.

Short title and Commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 6th day of March, 2024.
- 2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 38, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 38 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted*, namely:-

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
39	"Sharda University Agra"	Sri Anand Swroop Educational Trust,
	Agra, Uttar Pradesh	Agra, Uttar Pradesh
40	Saroj International University,	Smt. Saroj Singh Shikshan Sansthan,
	Lucknow, Uttar Pradesh	8 Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh
41	JSS University, Noida,	JSS Mahavidyapeetha, Ghaziabad,
	Uttar Pradesh	Uttar Pradesh

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of "Sharda University Agra" Agra, Uttar Pradesh, or Saroj International University, Lucknow, Uttar Pradesh or JSS University, Noida, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

- 4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2024, the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2024 and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2024 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U.P. Ordinance no. 1 of 2024, 2 of 2024, 3 of 2024

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of three new Private Universities, namely:—(i) "Sharda University Agra", Agra, Uttar Pradesh; (ii) Saroj International University, Lucknow, Uttar Pradesh; and (iii) JSS University, Noida, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 1 of 2024), the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 2 of 2024) and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 3 of 2024) were promulgated by the Governor on March 6, 2024.

This Bill is introduced to replaced the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.